

उपस्थित। अंतिम अवकाश 4-1-2024

में जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रति. सं.

2,4,5 का जवाब बंद किया जाता है।

पत्रावली वाला प्रति. सं. 1 व 3 को


पूरा: तालिका के दि. 7.8.24 को

पेश है।


SDO

07.08.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
वकील वादी प्रकरण में न्यायालय की अब
तक की कार्यवाही से संतुष्ट हैं। एवं आगे
कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील वादी ने
नॉट प्रेस करने का निवेदन किया। वकील
वादी द्वारा नॉट प्रेस करने के आधार
पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली
फॉरमल शंभार होकर वाद तकमील दाखिल
वफत होवे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा